

पीठासीन अधिकारी : रतनलाल रेगर
आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 63/2009 राजस्व वाद

अनवान

1. नारायण सिंह पिता किशोर सिंह राजपूत नि0 खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

-----वादी

बनाम

1. देवकंवर पिता रूपसिंह राजपूत पत्नि हेमसिंह राजपूत निवासी सावल नोहरा, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. गेन्दकंवर पिता रूपसिंह राजपूत निवासी हेमसिंह जी राजपूत का मकान, सावल नोहरा, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
3. विष्णु कंवर पिता रूपसिंह राजपूत निवासी हेम सिंह जी राजपूत का मकान, सावल नोहरा, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
4. हरिसिंह पिता रूपसिंह राजपूत राजपूत नि0 खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. देवेन्द्र सिंह पिता रूपसिंह राजपूत ना0बा0व0वि0 जरिये माता भंवर कंवर पत्नि रूपसिंह राजपूत नि0 खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. भंवर कंवर पत्नि रूपसिंह राजपूत नि0 खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. एस0बी0बी0जे0 शाखा बनेडा जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे0 शाखा बनेडा तहसील बनेडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

-----प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -

1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी) उपस्थित

दिनांक- 19.05.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम खेडलिया में वादी की ओर से वादी स्वयं तथा उनके अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी उपस्थित। आज दिनांक 19.05.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि -

वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 54 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम खेडलिया पटवार क्षेत्र खेडलिया की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादी का हक हिस्सा अलग रखते हुए प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 को सयुक्त खातेदारी-हक से बशामलात विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. नारायणसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
487/1	0-02	गे0मु0बाडा	-
485/1	0-10	नहरी द्वितीय	1.35
486/1	1-14	जाव तृतीय चाही तृतीय	3.00 4.20
कुल किता 3	कुल रकबा 2-06 बीघा	-	8.55


उपखण्ड अधिकारी बनेडा देवकंवर गेन्दकंवर विष्णुकंवर हरिसिंह पिता रूपसिंह, देवेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह नाबाववि माता भंवरकंवर, जिला भीलवाड़ा राज. भंवरकंवर पत्नि रूपसिंह राजपूत सां0देह खातेदार-

आ0न0	रकबा	किस्म	लगाने
487	0-02	गे0मु0बाडा	-
485	0-11	नहरी द्वितीय	1.49
486	1-14	चाही तृतीय	10.20
कुल किता 3	कुल रकबा 2-07 बीघा	-	11.69

3- आराजी संख्या 1013/486 रकबा 0.02 बीघा गे0मु0 चाह सामलाती खातानुसार रहकर हक हिस्सा बराबर रहेगा।

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 6 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 19.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम खेडलिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।


(रतन लाल रंगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

सलग्न विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति


उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा राज